भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 07/06/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

18 मार्च, 2026

जांच शुरूआत की अधिसूचना
मामला संख्याः -एडीडी(एसएसआर)-03/2026

विषय: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा.सं. 07/06/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है), ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई (जिन्हे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।
2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले हटाए न गए हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएंगे, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। तद्नुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से

विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

क. <u>पिछली जांचों की पृष्ठभूमि</u>

3. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच 29.09.2020 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच की शुरुआत अधिसूचना संख्या 6/45/2020- डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/45/2020 - डीजीटीआर दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानो के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को पांच साल की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या 73/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से लागू किया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 16.12.2026 तक वैध हैं।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर (जिप्सम प्लास्टर)" है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएएसओ4.2एच2ओ) कहा जाता है), जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म किए जाने पर, यह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है और स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बन जाता है जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट (सीएएसओ04.0.5एच2ओ) के रूप में जाना जाता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार, उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> *"7. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टेट" है। संबद्ध सामानों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है।*

8. जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएएसओ4.2 एच2ओ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म किए जाने पर, यह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है और स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बन जाता है जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट (सीएएसओ4.0.5 एच2ओ) के रूप में जाना जाता है।

9. संबद्ध सामानों का प्रयोग मुख्य रूप से सतह को समतल करने के लिए किया जाता है। अर्थात्, ईंट/ब्लॉक/ आरसीसी सतह को 12-15 मिमी ग्लिस्प्म प्लास्टर से लेपित किया जाता है जो इसे चिकनी लहरदार, दरार मुक्त फिनिश देता है। इसके बाद ऊपर से पुट्टी और पेंट लगाया जाता है। परंपरागत रूप से लोग सैंड-सर्नेट प्लास्टर का उपयोग करते थे जिसे अब जिप्सम प्लास्टर के सीधे कोट से बदल दिया गया है। इसका उपयोग कॉमिक्स और पीओपी शीट जैसे सजावटी भवन एलानेंट्स के रूप में भी किया जाता है। संबद्ध सामानों का उपयोग रेत-सीमेंट प्लास्टर के शीर्ष पर समतलीकरण/परिष्करण एलिमेंट जैसे पुनिंग के उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।

10. संबद्ध उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय शीर्ष 25 "खनिज उत्पाद: नमक; सल्फर; मिट्टी और पत्थर; प्लास्टर सामग्री, चूना और सेर्नेट" के तहत वर्गीकृत हैं, एस-अंक स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से, यह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण संघर्ष की परिस्थितियों में विद्यमान हैं।

5. यह तर्क दिया गया है कि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जो पिछली जांच में परिभाषित है।
6. आवेदक उद्योग ने कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख या इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीसीएन और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं।
8. इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, जांच दल यह मानने का प्रस्ताव करता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. <u>शामिल देश</u>

9. इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबंधित वस्तुओं को उन वस्तुओं के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है जो संबंधित देशों से आयात की जा रही हैं।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

10. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024, अप्रैल 2024 - मार्च 2025 और जांच की प्रस्तावित अवधि है।

च. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

11. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

> *"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के*

जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

12. यह आवेदन-पत्र मेसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर का प्रमु उत्पादक (55%) है। मेसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में संबद्ध सामानों के उत्पादक देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों से जुड़े बिखरे हुए उद्योग हैं। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रकृति और आकार के कारण प्रत्येक अलग अलग उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकारी या बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की गई है, तथापि, उनकी सूचना के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं।

13. आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आवेदक या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। अत:, प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना है, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

छ. <u>कथित पाटन का आधार</u>

ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की प्रचलित कीमतों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तथापि, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से यह कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका जिस पर भरोसा किया जा सके। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित प्रशुल्क वर्गीकरण नहीं है, अत: सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे यूएन कॉमट्रेड, ट्रेड मैप आदि से निर्यात आंकड़ों

पर 'संबंधित संबद्ध देशों से उपयुक्त तीसरे देश को संबद्ध सामानों की तुलनीय प्रतिनिधिकारक निर्यात कीमत' तक पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

15. किसी अन्य सूचना के अभाव में, आवेदक उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभों के लिए समायोजित किया गया है। वर्तमान जांच की शुरुआत के उद्देश्य से इस सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

16. विचारधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचारधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, सार-संभाल व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है। प्रथम दृष्टया यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। यह प्रथम दृष्टया सिद्ध करता है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जाना जारी है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने और बार बार होने की संभावना और कारणात्मक संपर्क</u>

18. आवेदक ने घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई निरंतर क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती और कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित दर प्राप्त करने से रोक दिया है। आवेदकों को लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आ रही है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में आगे क्षति की संभावना है और अधिशेष क्षमताओं, आयातों के संभावित न्यूनीकरण प्रभाव और अन्य सूचना प्रदान की है।

19. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, प्रारंभिक रूप से, यह दिखाती है कि विषय देशों से पाटन जारी रखने/दोहराने की संभावना है और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना दर्शाती है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

20. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना को प्रमाणित करते हुए, और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार बार होने की संभावना ऐसे शुल्कों की समाप्ति से रहेगी, निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करते हैं।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

21. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल - **एडी/एसएसआर/003/2026** पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातक और प्रयोक्ता, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की

शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी पूरी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
26. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- **एडी/ एसएसआर/003/2026** के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

29. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दर्ज करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 26 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार, 15 दिनों से अधिक के विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध ऊपर पैरा 26 में निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. वर्तमान जांच में जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, तो ऐसे पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

34. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

37. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का

अनुरोध आवश्यक है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

40. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 8 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

41. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ण. <u>असहयोग</u>

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा या उपयुक्त अवधि के भीतर या बाद में अलग पत्र के माध्यम से बाद में दी गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार काता है, या अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है या जांच में काफी बाधा डालता तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)